

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:सीपीपीआरआई/आरटीआई/217/2015/13(आई)/ 2358 दिनांक: जनवरी 04, 2016

श्री नवनीत कुमार कंसल,
एडवोकेट,
गली न. 4,
शारदा नगर,
सहारनपुर - 247 001

विषय: सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005, के अन्तर्गत से संस्थान में प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.11.15 के संबंध में ।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त आवेदन पत्र का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न की जाती है साथ ही आर. टी. आई. फीस की रसीद स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./217, दी. 16.11.15 भी संलग्न है।

भवदीय,

प्रतिभा कुमार

अपर लेमाल
8/1/2016

(बी.पी.थपलियाल)

जन सूचना अधिकारी

२८

संलग्न: यथोक्त

**CENTRAL PULP & PAPER RESEARCH INSTITUTE,
SAHARANPUR
(PERSONNEL DEIVISION)**

Ref: CPPRI/P/M/RTI/

January 1, 2016

INTER-OFFICE NOTE

This has reference to the ION No. CPPRI/RTI/217/2015/13(I), dt. November 16, 2015 received from PIO, CPPRI, Saharanpur together with a copy of an application dt. 16th November, 2015, received from Shri Navneet Kumar Kansal, Advocate, Saharanpur seeking certain information under RTI Act-2005.

Point-wise desired information are as under:

Point No. 1- The land has been acquired under different awards & phases by the institute, as per details attached.

Point No. 2- Land acquired - 4,20,787 Sq. Mtrs.

Point No. 3 & 4 - Consolidated Payment through Cheque was made by this Institute to the State Govt. as per award declared by the SLAO, Saharanpur for acquiring the land(details attached).



(Anil Kumar)
Administrative Officer

✓ **The Public Information Officer,
CPPRI,
Saharanpur.**

Encl: As above.

श्रेष्ठक,
विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी,
संयुक्त संगठन, सहारनपुर

सेवा में,

निदेशक,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर

1596
श्रीमो सं०/आठ-वि०भू अ० अधि० (स.स.)-स०पुर दिनांक 22/11/16

विषय: जनपद सहारनपुर में केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के लिए अर्जित की गई भूमि से संबंधित भू-स्वामियों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं० 61/आठ-वि०भू०अ०अ०(स.स.)-सहारनपुर दिनांक 9.2.07 एवं अपने पत्र सं० सी०पी०पी०आर०आई/प्र/वि०/कम्प./1598 दिनांक 12.3.09 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

पत्र सं० 61/आठ- वि०भू०अ०अ० (स.स.)-स०पुर दिनांक 9.2.07 के माध्यम से आपको रू० 1,33,77,276.56 की राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया था। शेष राशि अर्थात् रू० 9,35,316.14 (आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की मद सं० 4 पर अंकित रूपये 4000/- की धनराशि एवं स्टाम्प पेपर का मूल्य रू० 23,920 अर्थात् कुल राशि 27920/- घटाने के उपरान्त जो इस कार्यालय से संबंधित नहीं है) के विषय में आपको यह सूचना है कि वर्तमान में इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार आपके संस्थान द्वारा प्रदत्त कुल अग्रिम धनराशि में से मात्र रू० 187848.71 शेष है एवं आपको पूर्व में प्रेषित लेखा विवरण के अतिरिक्त उक्त रू० 187848.71 को छोड़कर जो धनराशि बचती है अर्थात् रू० 747467.43 (935316.14-187848.71) वह केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान हेतु विभिन्न भूमि अर्जन प्रकरणों के अन्तर्गत विभिन्न मदों जैसे भूमि अर्जन व्यय, भूमि का पंजीकरण मूल्य, अर्जन संबंधी प्रकाशनों, विधि एवं विविध व्ययों के मद में खर्च की जा चुकी है।

धन्यवाद।



विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी
(संयुक्त संगठन) /c
सहारनपुर

प्रेषक:

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(संयुक्त संगठन)
सहारनपुर.

सवा में,

निदेशक,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर(यू0पी0).

पत्रांक सं०: 6/ /आट-वि0भ0वअ0अ0(संस) सहारनपुर दिनांक: 07/02/07
विषय : जनपद सहारनपुर में केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के लिए अर्जित की गई
भूमि से संबंधित भूस्वामियों को भुगतान की गई धनराशि का विवरण.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अपने सरथान के पत्र सं० सीपीपीआरआई./प्र0/वि0/152 दिनांक
16.10.06 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न सूची में आपके द्वारा
प्रदत्त अग्रिम धन राशि रु. 1,50,24,859 70 (विभिन्न भूमि अर्जन वादों में) इस आशय से दर्शाई गयी
है कि इस विभाग द्वारा आपको उक्त राशि का लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाये।

इस संवध में आपको अवगत कराना है कि आपके विभाग द्वारा विभिन्न वाद संख्याओं में अर्जित
की गई भूमि से संबंधित भू-स्वामियों को भुगतान की गई धनराशि तथा अन्य मद में भुगतान की
गई धनराशि का विवरण इस पत्र के साथ संलग्न सूचियों के अनुसार रु. 1,43,77,276 56 का
प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका अतिरिक्त आपके द्वारा संलग्न सूची में केन सं० 10,11 व 14 पर
अर्जित धन राशि जो स्वयं आपके द्वारा जिला जज सहारनपुर के न्यायालय आदि में जमा की गई
थी जो अकन रु 6,84,347 होती है इस विभाग से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से आपके द्वारा वि०
भू० अ० अ० कार्यालय को भूमि अर्जन प्रकरणों में रु 1,43,40,512.70 की धनराशि ही का भुगतान
किया गया है। जिसमें से आपको रु. 1,33,77,276.56 का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष
राशि रु 9,63,236 14 का विवरण भविष्य में शीघ्र ही उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

कृपया पावती दें।

संलग्नक: विवरण पत्र उपरोक्तानुसार

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(संयुक्त संगठन)

सहारनपुर

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
संयुक्त संगठन

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के विस्तार हेतु अर्जित भूमि के मद में भूस्वामियों को किये गये भुगतान एवं अन्य खर्चों का विवरण पत्र :

(क) वाद सं० 227 (65-1-8)/	
ग्राम का नाम : शेखपुरा कदीम	
भूस्वामियों को भुगतान	= 60,75,847.50
कृषकों के नाम आर० डी० मे जमा	= 5,30,119.14
भूमि अर्जन व्यय 10%	= 3,44,108.00

योग = 69,50,074.64

(ख) वाद सं० 228 (52-6-12)/ 40-9-2	
ग्राम का नाम : शेखपुरा कदीम	
भूस्वामियों को भुगतान	= 36,59,597.92 ✓
कृषकों के नाम आर० डी० मे जमा	= 2,99,618.14
भूमि का पंजीकरण मूल्य	= 10,106.80
भूमि अर्जन व्यय 10%	= 4,98,612.00

योग = 44,67,934.86 ✓

(ग) वाद सं० 15/24 (31-7-0)/ 30-14-0	
ग्राम का नाम : पिंजीरा	
भूस्वामियों को भुगतान	= 12,14,012.62
भूमि का अर्जन व्यय	= 1,27,499.55

योग = 13,41,512.17 ✓

(घ) वाद सं० 19/76 (37-13-0)/ 28-7-0	
ग्राम का नाम : शेखपुरा कदीम	
भूस्वामियों को भुगतान	= 6,17,754.89 ✓

योग = 6,17,754.89 ✓

कुल योग (क+ख+ग+घ) = 1,33,77,276.56 ✓

(कुल एक करोड़ तैंतिस लाख सतहत्तर हजार दो सौ छिन्नत्तर तथा पैंते 56 मात्र)

प्रमाणित 08/01/16
 सहायक विभाग भूमि अधिग्रहण
 (वाद सं०) वहादुर
 निले